न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 80 / 2024
निर्णय दिनांकः–28.11.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. मांगी देवी पत्नि स्व० रामकरण पुत्र छोगा जाति जाट निवासी ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान
2. सीमा पुत्री रामावतार नाबालिग जरिये माता श्रीमति मांगी देवी जाति जाट निवासी ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला दूदू नवसृजित जिला दूदू राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांकः–28.11.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण ग्राम धुवालिया तहसील फागी की स्थाई निवासी है जिनकी पैतृक भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी में स्थित है प्रार्थीया के पति का नाम रामकरण पुत्र स्व० छोगा है तथा इसी नाम से जाने व पहचाने जाते है तथा इसी नाम का उपयोग करते है तथा समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालय मे प्रार्थीया के पति रामकरण पुत्र स्व० छोगा के नाम से दस्तावेजात प्रस्तुत करते है तथा पैतृक खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के पति का नाम रामकरण पुत्र स्व० छोगा अंकित है तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड में रामकरण पुत्र स्व० छोगा दर्ज है। आराजी खतौनी संख्या 202 के खसरा नम्बर 9/5 रकबा 0.5058 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जिसमें प्रार्थीया के पति रामकरण पुत्र स्व० छोगा के नाम दर्ज है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी में रामकरण पुत्र स्व० छोगा की जगह रामकरण पुत्र हरनाथ गलत दर्ज हो गया जो दुरस्ती काबिल है। प्रार्थीया के पति उपरोक्त भूमि पर काफी वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन उक्त भूमि में खातेदारी गलत रूप से रामकरण पुत्र हरनाथ के नाम दर्ज हो गई जबकि प्रार्थीया के पति के नाम रामकरण पुत्र स्व छोगा के नाम दर्ज होनी चाहिये जो काबिले

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

दूरस्ती है। उक्त विवादित भूमि के खतौनी संख्या 202 के खसरा नम्बर 9/5 रकबा 0.5058 हैक्टेयर प्रार्थीया के पति रामकरण की है जिनका देहान्त 09.03.2011 को गया जिनके प्रार्थीयागण वारिसान है रामकरण पुत्र हरनाथ का कोई व्यक्ति ग्राम धुवालिया में कोई नही है प्रार्थीया के पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई सम्बंध व सरोकार नही है उक्त भूमि प्रार्थीयागण की है जिसमें गलत खातेदारी सहवन से प्रार्थीया के पति के नाम दर्ज है लेकिन उनके पति की वल्दियत छोगा की जगह हरनाथ गलत दर्ज हो गई जो काबिले दुरस्ती है। प्रार्थीया के पति रामकरण पुत्र स्व० छोगा के नाम अन्य खातेदारी भूमि दर्ज थी, जिसका विरासत का नामान्तकरण संख्या 1062 प्रार्थीयागण के नाम दर्ज हो गया जिसकी खातेदारी प्रार्थीयागण के नाम दर्ज चली आ रही है लेकिन उपरोक्त भूमि खतौनी संख्या 202 के खसरा नम्बर 9/5 रकबा 0.5058 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम धुवालिया में रामकरण पुत्र हरनाथ नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीयागण के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण नही खुला जा सका जो वर्तमान में भी गलत खातेदारी रामकरण पुत्र हरनाथ के नाम से दर्ज चली आ रही है जिसके एक मात्र वारिस प्रार्थीयागण है तथा उनके कब्जे काश्त की भूमि है इस आधार पर उक्त भूमि में दर्ज गलत खातेदारी को दुरस्त किया जाकर रामकरण पुत्र स्व. छोगा दर्ज किया जावें। प्रार्थीयागण उक्त गलत इन्द्राज के दुरस्ती बाबत अपने समस्त दस्तावेजात प्रतिवादी के यंहा प्रस्तुत कर दुरस्ती किये जाने को निवेदन दिनाक 02.06.2024 को किया तो प्रतिवादी ने कहा कि उन्हे दुरस्ती का क्षेत्राधिकार नही है सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करे जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के द्वारा दुरस्ती बाबत् इंकार करने पर प्रार्थना पत्र पेश करने का दिनाक 02.06.2024 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो प्रार्थना पत्र अवधि अन्तर्गत प्रस्तुत है। विवादित भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी में स्थित होने से तथा सहवन से प्रार्थीयागण की जगह गलत नाम से खातेदारी दर्ज होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे निवेदन किया कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.2024 के अनुसार ग्रामवासियों ने ग्राम धुवालिया के खसरा नं. 915 रकबा 0.5058 हैक्टेयर के खातेदार रामकरण पुत्र हरनाथ का वास्तविक नाम रामकरण पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी धुवालिया होना बताया। ग्राम धुवालिया में रामकरण पुत्र हरनाथ के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है उपस्थित ने बताया कि रामकरण पुत्र छोगाराम की मृत्यु हो चुकी है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित होगां।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(3)

पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वाके ग्राम धुवालिया मे स्थित खाता सं0 202 उक्त विवादग्रस्त आराजी रामकरण पुत्र हरनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे रामकरण पुत्र हरनाथ के स्थान पर रामकरण पुत्र छोगा दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। रामकरण पुत्र छौगा की अन्य आराजी का नामान्तकरण प्रार्थीया के पक्ष मे तस्दीक किया जा चूका है। मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत पत्र दिनांक 03.08.1992 द्वारा हरनाथ ने अपनी सभी चल व अचल सम्पति का अधिकार नानग, गोपाल, रामकरण पिसरान छोगा व रोडू, गंगाराम पिसरान चन्द्रा को अधिकार दिये। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनुसार रामकरण पुत्र छोगा की मृत्यु पूर्व मे दिनांक 09.03.2011 के अनुसार हो चुकी है। पत्रावली मे संलग्न अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र मे भी प्रार्थीया के पति का नाम रामकरण पुत्र छोगा अंकित है। तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 202 में वर्णित खसरा नम्बर 9/5 रकवा 0.5058 है0 भूमि वाके ग्राम धुवालिया के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन रामकरण पुत्र हरनाथ के स्थान पर रामकरण पुत्र छोगा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/11/24.

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

सत्यमेव जयते